भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 315

दिनांक 21 जुलाई 2026 / 30 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

स्वापक पदार्थों की तस्करी

315. श्री दिलीप शइकीया:
श्री जिया उर रहमान:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नशीले पदार्थों की तस्करी और स्वापक पदार्थों के जोखिम पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने स्वापक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर लगाम लगाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं और स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार ने स्वापक पदार्थों के बढ़ते जोखिम और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को सुदृढ और इसके साथ समन्वयन हेतु क्या योजना बनाई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): सरकार ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की जांच करने और इसे रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं: -

(i) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियां (डीएलईए) और राज्य पुलिस, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत प्रवर्तन गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप मादक पदार्थों की जब्ती, मामलों का पंजीकरण, गिरफ्तारी, जब्त किए गए मादक पदार्थों का निपटान करने, अवैध खेती को नष्ट करने, वित्तीय जांच तथा स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम, 1988 के तहत निवारक (प्रिवेंटिव) डिटेंशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 315, दिनांक 21.07.2026

(ii) मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029) दिनांक 26.06.2026 को जारी किया गया है, जो विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा 'समग्र-सरकार-दृष्टिकोण' और 'समग्र-समाज-दृष्टिकोण' से मादक पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक स्पष्ट प्राथमिकताओं और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ 3 वर्ष का रोड मैप निर्धारित करता है।

(iii) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) की स्थापना की गई है।

(iv) नार्को-आतंकवाद के मामलों सहित मादक पदार्थों के बड़े और महत्वपूर्ण मामलों की जांच की निगरानी के लिए, महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) गठित की गई है।

(v) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) से अनुरोध किया गया है कि वे बीट कांस्टेबलों, फील्ड अधिकारियों और एसएचओ को रेड फ्लैग इंडिकेटर (आरएफआई) और विशेष रूप से मेफेड्रोन तथा एटीएस के गुप्त रूप से किए जाने वाले उत्पादन से संबंधित उभरते खतरों के बारे में संवेदनशील बनाएं।

(vi) विभिन्न मंचों जैसेकि एनकॉर्ड, जेसीसी, क्षेत्रीय सम्मेलन में वित्तीय जांच और पीआईटीएनडीपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप में बल दिया जाता है, ताकि संगठित सिंथेटिक ड्रग तस्करी के नेटवर्क को खत्म किया जा सके।

(vii) अपराध से हुई कमाई के संबंध में वित्तीय जांच करने, व्यवस्थित तरीके से पहचान की सुविधा देने, पता लगाने और उसे कुर्क करने को सुकर बनाने के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(viii) मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन अधिकारियों और एजेंसियों के क्षमता निर्माण के लिए, एनसीबी कार्यशालाओं/सेमिनारों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। एनसीबी नियमित रूप से अमेरिकी-डीईए के सहयोग से गुप्त प्रयोगशालाओं और प्रीकर्सर केमिकल डायवर्जन की जांच पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों और राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल होते हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 315, दिनांक 21.07.2026

(ix) भारत म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) जैसे देशों के साथ मादक पदार्थों से संबंधित मामलों पर महानिदेशक (डीजी) स्तरीय/द्विपक्षीय वार्ता नियमित रूप से आयोजित करता है।

(x) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से मादक पदार्थों के नियंत्रण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है।

(ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. अमृतसर, गुवाहाटी, चेन्नई और अहमदाबाद में 04 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करके इनकी संख्या 03 से बढ़ाकर 07 कर दी गई है।

ii. देश भर में 05 नए जोनल कार्यालयों अर्थात; गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल), अगरतला (त्रिपुरा), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) और रायपुर (छत्तीसगढ़) की स्थापना करके तथा 12 मौजूदा सब-जोनल कार्यालयों को जोनल कार्यालयों के रूप में उन्नत करके इनकी संख्या 13 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है।

iii. हाल ही में पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह), दीमापुर (नागालैंड), आइजोल (मिजोरम), शिमला (हिमाचल प्रदेश), शिलांग (मेघालय) और गंगटोक (सिक्किम) में छह (06) नए जोनल कार्यालयों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

iv. इसके अलावा, 10 फील्ड कार्यालयों को मंजूरी दी गई है और उन्हें कार्यात्मक बनाया गया है।

v. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की स्वीकृत संख्या के अलावा 568 नए पद सृजित किए गए हैं।

vi. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के अंतर्गत एक समर्पित अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, प्रभावी अभियोजन के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों में 36 अभियोजकों को नियुक्त किया गया है।
